

माछ्यामक ॥४॥ बाड, राजस्थान

(परीक्षारम्भ से 20 दिन पूर्व भेजे जाने हेतु) / प्रवेशिका/मा. (व्या.) परीक्षा के विद्यार्थियों की

विद्यालय का नाम
केन्द्र कार्यालय

३५८

सन् 20..... की माध्यमिक परीक्षा / प्रवेशिका / मा. (वा.) परीक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति का विवरण पत्र
(परीक्षारम्भ से 20 दिन पूर्व भेजे जाने हेतु)

एक वर्ष में विद्यालय छुलने की मीटिंग्स की संख्या.....

विविद्यालय का जाग

परीक्षा प्रपत्र - 49

କୃପ୍ୟା ହରିହର

क्र.सं.	नामांक	परीक्षार्थी का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	नाम पृथक का कारण	नाम पृथक करने की विशेष विवरण	
दिनांक							
अग्रि आवश्यक :- नियमनुसार न्यून है उनके प्रवेश पर रोककर इस कार्यालय को भेजने का दायित्व शाला प्रधान का ही है यदि कोई अपार परीक्षार्थी प्रवेश पर पाकर परीक्षा में बैठता है तो उसकी परिणाम निरस्त होगा जिसकी समस्त विमोदरी शाला प्रधान की होगी।	(1) पूरक परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी यदि पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पूर्व ही विद्यालय में प्रवेश ले लें तो उनकी उपस्थिति की गणना पूरक परीक्षा को तिथि से अथवा पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के पश्चात विद्यालय में प्रवेश लिया हो तो उपस्थिति की गणना प्रवेश लेने की गणना विद्यालय खुलने की तिथि से की जावे। यदि पूरक परीक्षा में ग्रन्थित नहीं होने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति विद्यालय खुलने के मीटिंग की संख्या में यदि कोई अन्तर हो तो उसका कारण विशेष विवरण के कोष्ठक 13 में अवक्षय लिखें।	(2) कोष्ठक संख्या 10 में उपस्थिति न्यूनता का कारण अनुपस्थिति ही न बताकर विशिष्ट कारण यथा बीमारी, विलास से प्रवेश आदि स्पष्ट लिखें।	(3) बोर्ड की निर्देश प्रृष्ठिका के अध्याय 22 के विनियम 4 (iii), (iv) तथा (v) के अनुसार प्रधानाध्यापक उपस्थिति न्यूनता का मार्जन कोष्ठक 11 में करें तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा मार्जन किये जाने के लिए कोष्ठक 12 में सिफारिश करें।	(4) शाला से नाम पृथक किये गये विद्यार्थियों के नाम अलग से “नाम पृथक” शीर्षक के अन्तर्गत लिखें जावें।	(5) “प्रमाणित किया जाता है कि इस विद्यालय से माध्यमिक परीक्षा 20..... में प्रविष्ट होने वाले पीछे अंकित नियमत अवधियों ने समाजोपयोगी उत्तादक कार्य एवं समाज सेवा” विषय के लिए नियमत अवधि के शिविर में भाग नहीं लिया है अथवा कक्षागत अधिगम कार्य एवं सम्पन्न नहीं किया है अथवा कला शिक्षा तथा स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए निर्धारित क्रिया कलाओं को पूर्ण नहीं किया है। (शिविर में भाग नहीं लेने वाले परीक्षार्थियों के नाम पृष्ठ भाग में अंकित करें।)	“प्रमाणित किया जाता है कि इस विद्यालय से माध्यमिक परीक्षा 20..... में प्रविष्ट होने वाले पीछे अंकित नियमत अवधियों ने समाजोपयोगी उत्तादक कार्य एवं समाज सेवा” विषय के लिए नियमत अवधि के शिविर में भाग नहीं लिया है अथवा कक्षागत अधिगम कार्य एवं सम्पन्न नहीं किया है अथवा कला शिक्षा तथा स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए निर्धारित क्रिया कलाओं को पूर्ण नहीं किया है। (शिविर में भाग नहीं लेने वाले परीक्षार्थियों के नाम पृष्ठ भाग में अंकित करें।)	हस्ताक्षर विद्यालय प्रधान प्रधानाधार्य/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका विद्यालय जिला स्थान
कार्यालय टिप्पणी - (1) क्रमांक (2) क्रमांक (3) क्रमांक वेबसाइट पर अपलोड करवा दिये जावें। हस्ताक्षर - लिपिक	वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति न्यूनता प्रधानाध्यापक की मार्जन सीमा के अन्तर्गत है और उल्हौने मार्जन भी कर दिया है। वाले विद्यार्थियों के उपस्थिति प्रधानाध्यापक की मार्जन सीमा से अधिक है आजा हो तो 2 व 3 में उल्लेखित विद्यार्थियों के प्रवेश पर रोककर विद्यालय के शेष सभी विद्यार्थियों के प्रवेश पर बोर्ड की						

क्र.सं.	नामांक	परीक्षार्थी का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	नाम पृथक का कारण	नाम पृथक करने की दिनांक	विशेष विवरण

आति आवश्यक :-

- उपस्थिति प्रति समय पर कार्यालय में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में समस्त प्रवेश पत्र शाला को भेजें जायेंगे। जिन परीक्षार्थियों की उपस्थिति नियमानुसार नहून है उनके प्रवेश पत्र रोककर इस कार्यालय को भेजने का दायित्व शाला प्रधान का ही है यदि कोई अपात परीक्षार्थी प्रवेश पत्र पाकर परीक्षा में बैठता है तो उसका परिणाम निरस्त होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शाला प्रधान की होगी।
- पूरक परीक्षा में बैठते वाले विद्यार्थी यदि पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पूर्व ही विद्यालय में प्रवेश ले लें तो उनको उपस्थिति की गणना पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से की जावे। यदि पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण रहने के पश्चात् विद्यालय में प्रवेश लिया हो तो उपस्थिति की गणना विद्यालय खुलने की तिथि से ही की जावे।
- (1) पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से अथवा पूरक परीक्षा को संभवा तथा कोष्ठक 6 में अंकित मीटिंग कोष्ठक 6 में अंकित मीटिंग कोष्ठक 6 में यदि कोई अत्यर हो तो उसका कारण विशेष विवरण के कोष्ठक 13 में अवश्य लिखें।
- (2) विद्यालय खुलने के मीटिंग कोष्ठक 10 में उपस्थिति न्यूता का कारण यथा बीमारी, विलास से प्रवेश लिखें।
- (3) कोष्ठक 10 को निर्देश गुरुस्तका के अथवा 22 के विविध 4 (iii), (iv) तथा (v) के अनुसार प्रधानाध्यापक उपस्थिति न्यूता का मार्जन कोष्ठक 11 में करें तथा अवश्य महोदय द्वारा मार्जन किये जाने के लिए कोष्ठक 12 में सिफारिश करें।
- (4) शाला से नाम पृथक किये गये विद्यार्थियों के नाम अलग से "नाम पृथक" शीर्षक के अंतर्गत लिखें जावे।

हस्ताक्षर विद्यालय प्रधान
प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
..... विद्यालय
स्थान विला विला

(केवल बोर्ड कार्यालय उपयोग हेतु)

- वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति न्यूता प्रधानाध्यापक की मार्जन सिमा के अन्तर्गत है और उहाँने मार्जन भी कर दिया है।
(1) क्रमांक
(2) क्रमांक
(3) क्रमांक
वेबसाइट पर अपलोड करवा दिये जावे।
हस्ताक्षर - लिपिक
युप प्रभारी
अनु. अधिकारी
सहायक निदेशक (परीक्षा)
उपनिदेशक (परीक्षा)
मुख्य नियंत्रक (परीक्षा)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक – परीक्षा – 1/2020/

दिनांक :

प्रेषित :

वर्ष 2020 की माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय/व्यावसायिक की मान्यता प्राप्त सभी संस्थाओं के प्रधानों को।

महोदय/महोदया,

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय/व्यावसायिक परीक्षा, 2020 में प्रवेशार्थी आपके विद्यालय के जिन नियमित परीक्षार्थियों की उपस्थिति निर्धारित 75 प्रतिशत से न्यून हो उनके नाम, अन्य विवरण सहित सूचित करने के लिए एक रिक्त प्रपत्र बोर्ड वेबसाईट पर अपलोड किया गया है।

इस वर्ष उच्च माध्यमिक परीक्षा 05 मार्च, 2020 व माध्यमिक परीक्षा 12 मार्च, 2020 से प्रारम्भ होंगी। उपस्थिति न्यूनता विवरण प्रपत्र की पूर्ति करने से पूर्व कृपया निम्न बातों का ध्यान रखें :-

इस वर्ष परीक्षार्थियों की उपस्थिति गणना उच्च माध्यमिक परीक्षा की 14 फरवरी, 2020 व माध्यमिक परीक्षा की 24 फरवरी, 2020 तक की जानी है।

अत्यन्त आवश्यक टिप्पणी :

- विद्यालय प्रधानों को उपस्थिति न्यूनता प्रपत्र ऊपर लिखी तिथि के आधार पर गणना करके बोर्ड को अधिकतम 26 फरवरी, 2020 तक बोर्ड के ई-मेल ddexamfirst@gmail.com पर Online upload कर आवश्यक रूप से भेजे जाये।
- गत वर्ष परीक्षार्थियों को परिणाम निम्न तिथियों को घोषित हुए थे। अतः इन परीक्षार्थियों हेतु सम्बन्धित वर्गों में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थी जिन्होंने पुनः अध्ययन हेतु किसी विद्यालय में प्रवेश लिया है तो उनकी उपस्थिति गणना उनके परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि के सम्मुख अंकित तिथि से ही की जायेगी।
- सभी परीक्षार्थियों की उपस्थिति गणना विद्यालय खुलने की तिथि से नहीं की जानी है।

परीक्षा का नाम	परिणाम घोषित होने की तिथि	उपस्थिति गणना प्रारम्भ करने की तिथि
1	2	3
मुख्य परीक्षाएँ :-		
1. उच्च माध्यमिक (विज्ञान वर्ग)	15 मई, 2019	
2. उच्च माध्यमिक (वाणिज्य वर्ग)	15 मई, 2019	
3. उच्च माध्यमिक (कला वर्ग)	22 मई, 2019	
4. माध्यमिक	03 जून, 2019	
5. प्रवेशिका	03 जून, 2019	
6. वरिष्ठ उपाध्याय	17 मई, 2019	
पूरक परीक्षाएँ :-		
1. उच्च माध्यमिक (विज्ञान वर्ग)		
2. उच्च माध्यमिक (वाणिज्य वर्ग)		
3. उच्च माध्यमिक (कला वर्ग)	09 सितम्बर, 2019	
4. माध्यमिक	11 सितम्बर, 2019	
5. प्रवेशिका	11 सितम्बर, 2019	
6. वरिष्ठ उपाध्याय	09 सितम्बर, 2019	

सामान्य नियम :-

- (1) संवीक्षा के फलस्वरूप अथवा अन्य किसी कारण से जिन परीक्षार्थियों के परीक्षापरिणाम में परिवर्तन हुआ, उनकी उपस्थिति गणना प्रवेश के दिनांक से अथवा परिवर्तित परिणाम की तिथि के 10 दिन से अथवा बोर्ड द्वारा निर्देशानुसार तिथि से जो भी पहले हो, की जावे।
- (अ) पूरक परीक्षा में बैठने वाले किसी परीक्षार्थी ने यदि पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पूर्व ही विद्यालय में प्रवेश ले लिया हो तो उसकी उपस्थिति गणना पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से करें।
- (आ) यदि पूरक परीक्षा में प्रविष्ट हुआ कोई परीक्षार्थी परिणाम घोषित होने के पश्चात् विद्यालय में प्रवेश ले तो उसकी उपस्थिति विद्यालय में प्रवेश की तिथि अथवा ऊपर तालिका में दी गई तिथि में से जो भी पहले हो करें।
- (इ) विगत मुख्य परीक्षा में पूरक परीक्षा योग्य घोषित परीक्षार्थी ने यदि पूरक परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया हो तो उसकी उपस्थिति गणना तालिका के अनुसार मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से की जायेगी।
- (ई) जिन परीक्षार्थियों को बोर्ड द्वारा प्रवेश हेतु विशेष रूप से अनुमति दी गई है उन परीक्षार्थियों की उपस्थिति गणना बोर्ड द्वारा अनुमति पत्र में दिए गए निर्देशानुसार ही की जावेगी।
- (2) उपस्थिति न्यूनता, पारियों (Meetings) में ही अंकित करें, दिनों में नहीं। शारीरिक प्रशिक्षण (Physical activities) में परीक्षार्थियों की उपस्थिति न्यूनता प्रदत्त कोष्ठक में घण्टों (Periods) में अंकित करनी चाहिए।
- (3) आवेदन पत्र प्रेषित करने के बाद यदि विद्यालय से किसी परीक्षार्थी का नाम अधिक समय अनुपस्थित रहने के कारण या विद्यालय का परीक्षा शुल्क इत्यादि नहीं देने के कारण पृथक हो चुका हो तो ऐसे परीक्षार्थी का नाम “नाम पृथक” शीर्षक के अन्तर्गत देकर विवरण पत्र में अंकित करना चाहिए। जो परीक्षार्थी परीक्षार्थ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व विद्यालय त्याग चुके हैं उनके नाम पृथक किये गये परीक्षार्थियों के शीर्षक में अंकित न करें। जिन परीक्षार्थियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अपने पिता/संरक्षक के स्थानान्तरण के कारण व अन्य कारणों से आपके विद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र लेकर अन्य विद्यालय में अध्ययन हेतु प्रवेश लिया है परन्तु उनके नाम आपके विद्यालय के परीक्षार्थियों की नामावली में अंकित हों तो उसका नाम पृथक की सूची में न दें, क्योंकि ये परीक्षार्थी परीक्षा में आपके विद्यालय के नियमित परीक्षार्थी के रूप में ही प्रविष्ट होंगे। आपको चाहिए कि ऐसे परीक्षार्थी की उपस्थिति का हिसाब बाद वाले विद्यालय से मंगवाकर एवं अपने विद्यालय की उपस्थिति में जोड़कर आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को सूचित करें। ऐसे परीक्षार्थियों की उपस्थिति का अंकन व गणना बहुत ध्यान से करें ताकि बार-बार आपको या बोर्ड को पत्र व्यवहार न करना पड़े। परन्तु जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षार्थ आवेदन पत्र आपके विद्यालय के नियमित परीक्षार्थी के रूप में प्रस्तुत किये हों और बाद में विद्यालय से टी.सी. लेकर चले गए अथवा जिनके अभिभावकों के स्थानान्तरण आदि के कारण बोर्ड कार्यालय के आदेशानुसार केन्द्र में परिवर्तन स्वीकार कर लिए गए हों तथा अब उनके नाम आपके विद्यालय की नामावली में अंकित न हो तो आप ऐसे परीक्षार्थियों के नाम उपस्थिति न्यूनता विवरण प्रपत्र में किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत न दें। कृपया ध्यान रखें कि आपको अपने विद्यालय की नामावली में अंकित परीक्षार्थियों की उपस्थिति के बारे में ही बोर्ड कार्यालय को ऑनलाइन प्रेषित करना है।
- (4) माध्यमिक तथा प्रवेशिका परीक्षा में प्रविष्ट हो अनुत्तीर्ण रहे अथवा बोर्ड द्वारा परीक्षाओं में सम्मिलित होने से रोके गये परीक्षार्थी अथवा श्रेणी सुधार हेतु पुनः प्रविष्ट हो रहे परीक्षार्थी यदि इस वर्ष पुनः उसी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो ऐसे परीक्षार्थियों की भी उपस्थिति गणना केवल एक वर्ष की ही की जायेगी। अतः ऐसे परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में गत वर्ष में प्रदत्त नामांक, वर्ष तथा परीक्षा का नाम जिसमें वे अनुत्तीर्ण रहे हों विशेष विवरण (Remarks) के स्थान पर अवश्य अंकित करें।
- (5) ऐसे परीक्षार्थी जो आपके विद्यालय में स्थानान्तरित होकर आये हों और उनका आवेदन पत्र आपने अग्रेषित किया है अथवा उनका नाम आपके विद्यालय की नामावली में अंकित हो तो उनकी पूर्व विद्यालय की उपस्थिति नियत समय तक ही प्राप्त कर लें जिससे प्रपत्र भेजने में देरी न हो। जिन परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र किसी दूसरे विद्यालय से इस कार्यालय को भेजे गये हों तथा वे अपने पिता/संरक्षक के स्थानान्तरण के कारण आपके यहां आ गये हों और उसका नाम आपके विद्यालय की मुद्रित नामावली में अंकित नहीं पाये जावें तो आपके विद्यालय में रही उनकी उपस्थिति समय पर ही पूर्व विद्यालय को भेज दें। ऐसे परीक्षार्थियों की उपस्थिति पूर्व विद्यालय से ही इस कार्यालय को भेजी जायेगी तथा ऐसे परीक्षार्थी पूर्व विद्यालय के परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा देंगे। आप ऐसे परीक्षार्थियों को यह भी बता दें कि उनके प्रवेश पत्र उन्हें पूर्व विद्यालय से ही मिलेंगे।
- (6) विद्यालय में होने वाले शारीरिक कार्यकलापों में 100 घण्टे प्रतिवर्ष के हिसाब से परीक्षार्थियों को भाग लेना अनिवार्य है जिसमें से न्यूनतम 50 घण्टे शारीरिक प्रशिक्षण के होने चाहिए। शारीरिक प्रशिक्षण से बीमारी के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से छूट नहीं दी जाती है। केवल बीमारी के कारण ही शारीरिक कार्यकलापों के अन्तर्गत उपस्थिति का मार्जन अधिकाधिक 10 प्रतिशत घण्टों तक ही हो सकेगा।

- (7) अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय की सैकण्डरी स्कूल अथवा हायर सैकण्डरी अथवा सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण, परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों को जो इस बोर्ड की परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं, उन परीक्षार्थियों की उपस्थिति गणना भी इस बोर्ड के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की तरह एक सत्र की ही की जायेगी।
- (8) जिन परीक्षार्थियों की उपस्थिति निर्धारित प्रतिशत से कम रही है उसका कारण उपस्थिति न्यूनता प्रपत्र में स्पष्टतः सप्रमाण लिखें। उपस्थिति न्यूनता का मार्जन सख्त बीमारी (जिसके प्रमाण में चिकित्सक का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जावे) तथा तदर्थ बहुत ही विशेष कारण होंगे तभी किया जायेगा अन्यथा नहीं। परन्तु ऐसे मार्जन की कुल सीमा किसी भी दशा में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (9) उपस्थिति गणना ऊपर (1) में लिखी दिनांक से ही की जावेगी। इसके पश्चात् की उपस्थिति किसी भी परिस्थिति में नहीं मानी जावेगी, अर्थात् यदि तैयारी के अवकाश के दिनों में विशेष कक्षायें लगाई जायेगी तो भी उन दिनों की उपस्थिति की गणना नहीं की जावेगी।
- (10) जिन परीक्षार्थियों की उपस्थिति न्यून है और जो अध्यक्ष महोदय की मार्जन सीमा में है उनके मार्जन के सम्बन्ध में अपनी सिफारिश पूर्ण सोच विचार कर स्पष्टतः एवं अन्तिम रूप से करें। आपकी यह अभिशंषा अन्तिम ही मानी जावेगी और उस में बाद में परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। कठिपय प्रधानाध्यापक सम्बन्धित कालम को खाली छोड़ दे ते हैं। इससे बोर्ड को निर्णय लेने में कठिनाई होती है।
- (11) अध्यक्ष महोदय को जितनी मीटिंग्स की उपस्थिति न्यूनता क्षमा करने का अधिकार है वह विद्यालय के प्रधान द्वारा क्षमा किये जाने वाली मीटिंग्स के अतिरिक्त नहीं है अर्थात् उनके सहित ही बोर्ड के अध्यक्ष महोदय एक वर्ष की उपस्थिति में कुल 25 मीटिंग्स क्षमा कर सकते हैं।
- (12) जिन परीक्षार्थियों की उपस्थिति न्यूनता अध्यक्ष महोदय के मार्जन की सीमा (Condonable limit) से अधिक है उन्हें किसी भी परिस्थिति में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जा सकेगी। अतः ऐसे मामलों में परीक्षार्थियों की उपस्थिति न्यूनताक्षम्य करने हेतु यदि आप सिफारिश भी करते हैं तो व्यर्थ है। भिन्न (Fraction) का लाभ परीक्षार्थी को दिया जायेगा। जैसे यदि किसी परीक्षार्थी की उपस्थिति $25\frac{1}{4}$ मीटिंग्स न्यून है तो 25 मीटिंग्स मानी जावेगी न कि 26 मीटिंग्स।
- (13) **विशेष :**— ऐसे दिव्यांग परीक्षार्थी (CWSN) जो शाला में निर्धारित दिवसों तक उपस्थित नहीं हो सके उनकी उपस्थिति गणना 50 प्रतिशत तक मान्य की जावे।

कृपया उपस्थिति न्यूनता विवरण प्रपत्र दिनांक 26 फरवरी, 2020 तक ई—मेल ddexamfirst@gmail.com ऑनलाईन अपलोड कर देवे। यदि आपके विद्यालय के किसी भी परीक्षार्थी की उपस्थिति न्यून नहीं है तो प्रपत्र में “कोई नहीं” लिखकर हस्ताक्षर कर ऑनलाईन अपलोड करें। विद्यालय Login ID एवं Password की सहायता से सभी छात्रों के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर मुद्रित करवा ले। रोके गये प्रवेश पत्र भी यदि डाउनलोड हो गए हो तो उन्हे बोर्ड को सूचित करते हुए तुरन्त लौटा देवें। रोके गये प्रवेश पत्र प्रपत्र 49/50 के साथ प्रेषित करें। शेष प्रवेश पत्र पर छात्रों को प्रमाणित कर वितरित कर देवें।

गत वर्षों में ऐसे मामले वृष्टि में आये हैं जिनमें कठिपय प्रधानाध्यापक द्वारा परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में भेजी गई उपस्थिति सम्बन्धी सूचना में विविध कारणों से परिवर्तन की सूचना दी गई थी। ऐसी परिस्थिति में विद्यालय के मूल प्रलेख आदि अध्यक्ष महोदय के अवलोकन हेतु मंगवाये गये। इस सारी प्रक्रिया में विद्यालयों व इस कार्यालय दोनों को असुविधा होती है। उक्त असुविधा से बचने के लिए निवेदन है कि उपस्थिति सम्बन्धी सूचनाएं प्रधानाध्यापक व्यक्तिगत रूप से जांचकर ही ऑनलाईन अपलोड करने का पूर्ण ध्यान रखें तथा उनमें बाद में किसी भी परिवर्तन हेतु नहीं लिखें। समय कम रहने से परीक्षार्थियों को परेशानी रहती है। अतः आप यह देख लें कि प्रथम बार ही जो उपस्थिति सम्बन्धी सूचना भेजी जाये वह पूर्णतः सही हो तथा पूरी जांच के बाद ही भेजी गई हो।

नोट (i) जिन विद्यालयों से समय रहते उपस्थिति न्यूनता विवरण पत्र प्राप्त नहीं होंगे उनके समस्त प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाईट पर यथासमय अपलोड कर दिये जावेंगे उनमें से जिन छात्रों की उपस्थिति न्यून हो तथा जिनके नाम पृथक हो गये हो या किसी छात्र की मृत्यु हो गयी है उनके प्रवेश पत्रों को डाउनलोड नहीं किया जाए इसकी पूर्ण जिम्मेदारी शाला प्रधान की होगी। यदि उपस्थिति न्यून अथवा नाम पृथक वाले किसी परीक्षार्थी का प्रवेश—पत्र आप द्वारा जारी कर दिया जाता है तथा परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट होता है तो होने वाली सभी समस्याओं की जिम्मेदारी आपकी होगी।

(ii) उपस्थिति न्यूनता विवरण पत्र भिजवाने के पश्चात् त्रुटिवश यदि उपस्थिति न्यून/नाम पृथक वाले कोई प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जावे तो कृपया उसे छात्र को वितरित नहीं करें, बोर्ड को वापस लौटा दें।

संलग्न : (1) परीक्षा प्रपत्र – 49

(माध्यमिक/प्रवेशिका/माध्यमिक (व्यावसायिक) परीक्षा)

(2) परीक्षा प्रपत्र – 50

(उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय/उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक) परीक्षा)